कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री अनिल संत ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री सुगम परिवहन लि0,शाखा बढ़नी सिध्दार्थनगर।**

प्रा0प0सं0- **345/2008**

प्रार्थी की ओर से- कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अन्तर्गतनिर्णय

1- प्रार्थी द्वारा दिनांक 13-08-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा भारत और नैपाल के मध्य माल के आवागमन के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले पारगमन अधिकार पत्र एवं उससे सम्बन्धित व्यवस्था के निराकरण के सम्बन्ध में सामान्य प्रश्न उठाया गया है। उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी विशिष्ट समस्या आदि का उल्लेख नहीं किया गया है।

2- व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-। वाणिज्य कर,गोरखपुर जोन, गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या- 2396 दिनांक 20-9-08 से प्रेषित आख्या में यह अवगत कराया गया है कि सर्वश्री सुगम परिवहन लि0,शाखा बढ़नी सिध्दार्थनगर द्वारा जो प्रश्न धारा-59 के अन्तर्गत उठाये गये है वह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर वैट अधिनियम के अन्तर्गत विचारणीय नहीं है।

व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि वह उक्त की सुनवाई हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ही निर्णय चाहते है।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों तथा प्राप्त विभागीय आख्या का परिशीलन किया । उपरोक्त प्रार्थना पत्र देखने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा-59 की विषय वस्तु में नहीं आता है । अतः धारा-59 की परिधि में न आने के कारण इसे अस्वीकार किया जाता है।

4- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 02दिसम्बर,2008

ह0/2-12-08

(अनिल संत)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।